

UPSH010080282021



न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं0-01, शाहजहाँपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-286/2021

प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0-15/2019

मिलीयन माइल्स पापकॉन प्राईवेट लिमिटेड बनाम अनुज कुमार अग्रवाल आदि
दिनांक: 11-03-2026

प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र 6ग (36ग) पर के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग (36ग): प्रार्थना पत्र 6ग (36ग) अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय शपथपत्र प्रार्थिनी/अपीलार्थी मिलीयन माइल्स पापकॉन प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्रीमती नीलम गुप्ता की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी प्रकीर्ण अपील संख्या 15/2019 मिलीयन माइल्स बनाम अनुज कुमार अग्रवाल आदि में अपीलार्थी है। प्रार्थिनी ने विपक्षीगण द्वारा साज करके मूलवाद संख्या 125/2019 अनुज कुमार बनाम दीपक आदि में 6ग प्रार्थना पत्र स्वीकार करा लेने के विरुद्ध उपरोक्त अपील योजित की थी। प्रार्थिनी को अपने पूर्व अधिवक्ता श्री बांके बिहारी मिश्रा के क्लर्क द्वारा अपील उपरोक्त में तारीख पेशी 26-11-2021 मोबाइल पर नोट करायी थी लेकिन वास्तव में अपील उपरोक्त में दिनांक 26-10-2021 नियत थी। प्रार्थिनी जब दिनांक 26-11-2021 अपने अधिवक्ता श्री बांके बिहारी मिश्रा से अपील उपरोक्त के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने दिनांक 29-11-2021 को न्यायालय आकर अपील के विषय में जानकारी लेने को बताया। जब प्रार्थिनी 29-11-2021 को न्यायालय आई तो उसे अधिवक्ता के क्लर्क द्वारा अदालत में पेशकार की डायरी से यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थिनी की अपील दिनांक 26-10-2021 को प्रार्थिनी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गयी है। उक्त दिनांक की बावत अधिवक्ता की डायरी में भी कुछ नहीं लिखा था, इसी कारण प्रार्थिनी के अधिवक्ता भी 26-10-2021 को न्यायालय नहीं पहुँच सके। अपील के अदम पैरवी में खारिज होने से प्रार्थिनी को अशोधनीय क्षति है। प्रार्थिनी अपनी अपील को गुण व दोष पर निर्णीत कराना चाहती है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकीर्ण अपील संख्या-15/2019 मिलीयन माइल्स बनाम अनुज कुमार अग्रवाल आदि को पुनर्स्थापित करके गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने की याचना की गयी। प्रार्थना पत्र 6ग (36ग) मय शपथपत्र 7ग प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या 15/2019 मिलीयन माइल्स पापकॉन प्राईवेट लिमिटेड बनाम अनुज कुमार आदि में दिनांक 26-10-2021 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थिनी/अपीलार्थी तथा उत्तरदाता सं0-2 लगायत 4 अनुपस्थित थे। उत्तरदाता सं0-1 के अधिवक्ता उपस्थित थे। प्रार्थिनी/अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता सं0-2 लगायत 4 पर तामीला हेतु पैरवी के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था, न ही कोई स्थगन दिया गया था तथा ल गातार अनुपस्थित चल रहा था। प्रकीर्ण दीवानी अपील अपीलार्थी की लगातार अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज की गयी थी। प्रार्थिनी/अपीलार्थी की ओर प्रार्थना पत्र में

कहा गया कि उसके पूर्व अधिवक्ता के क्लर्क द्वारा तारीख पेशी 26-11-2021 नोट करायी गयी थी, जबकि अपील उपरोक्त में दिनांक 26-10-2021 को नियत थी। विधि की यह मंशा है कि पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देकर मामले का निस्तारण गुणदोष पर किया जाये। जहाँ तक विपक्षी का प्रश्न है, उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से परिपूरित की जा सकती है।

अतः मामले के गुणदोष पर निस्तारण के लिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र 6ग (36ग) हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग (36ग) मु0-500/- (पाँच सौ) रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या 15/2019 मिलीयन माइल्स पापकॉन प्राईवेट लिमिटेड बनाम अनुज कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 26-10-2021 अपास्त/रिकाल किया जाता है।

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या 15/2019 मिलीयन माइल्स पापकॉन प्राईवेट लिमिटेड बनाम अनुज कुमार आदि अपने मूल नम्बर पर कायम होकर वास्ते सुनवाई दिनांक 06-04-2026 को पेश हो।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(आशीष वर्मा)
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-01, शाहजहाँपुर।